अतिमहत्त्वपूर्ण

ई–मेल / फैक्स

पत्र संख्या–13 / विविध–04 / 2016सा॰ 143 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना ।

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ।

पटना–15, दिनांक 04 नवम्बर, 2018

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार पदाधिकारियों एवं कर्मियों से संबंधित मामलों में विगत् एक वर्ष में सरकारी दण्डादेश को माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये मामलों की समीक्षा हेतु प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार पदाधिकारियों एवं कर्मियों से संबंधित मामलों में विगत् एक वर्ष में सरकारी दण्डादेश को माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये मामलों की समीक्षा मुख्य सचिव, बिहार द्वारा किया जाना है । इसके पूर्व उक्त मामलों की समीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संलग्न सूची के अनुसार किया जायेगा । **यह समीक्षा श्री अवनीश कुमार सिंह, भा॰प्र॰से॰, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) के कार्यालय कक्ष में किया जायेगा** ।

उल्लेखनीय है कि कतिपय विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में नहीं है । सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त अधिकांश विभागों के प्रतिवेदन के साथ आरोपी पदाधिकारी/कर्मी के विरुद्ध पारित सरकारी दण्डादेश एवं तत्संबंधी वादों में पारित न्यायालीय आदेशों की प्रति भी संलग्न नहीं है । इससे मामले की पूर्ण समीक्षा सम्भव नहीं हो पायेगी ।

अतः अनुरोध है कि उक्त मामलों से संबंधित संलग्न विहित प्रपत्र (वांछित सरकारी दण्डादेश एवं तत्संबंधी न्यायादेशों की प्रति के साथ) में ही आपके विभाग हेतु निर्धारित समीक्षा की तिथि के दो दिन पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये । सरकारी सेवकों के विरुद्ध पारित दण्डादेश एवं तत्संबंधी वादों में पारित न्यायादेशों की प्रति सहित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ **आपके विभाग में मामले से संबंधित जानकार उप सचिव/अवर सचिव अथवा प्रशाखा पदाधिकारी को, उक्त समीक्षात्मक बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर सम्मिलित होने हेतु आदेशित करने की कृपा की जाये** ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये ।

अनु॰–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव ।

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के कार्यालय कक्ष में दिनांक 10.12.2018 से सभी विभागों के घूस लेते रंगे हाथ पकडे गये सरकारी सेवकों से संबंधित मामलों की समीक्षा हेतु कार्यक्रम :–

क्र०	विभाग का नाम	समीक्षा की तिथि	समय	क्र०	विभाग का नाम	समीक्षा की तिथि	समय
1	2	3	4	1	2	3	4
1	सामान्य प्रशासन विभाग/निगरानी विभाग/योजना एवं विकास विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/ सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	10.12.2018 (सोमवार)	11.00 बजे पूर्वाह्न	1	गृह विभाग (गृह आरक्षी/गृह विशेष/गृह कारा एवं महानिदेशक, पुलिस का कार्यालय)/नगर विकास एवं आवास विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/पंचायती राज विभाग	10.12.2018 (सोमवार)	05.00 बजे अपराह्न
2	वित्त विभाग/निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/श्रम संसाधन विभाग/ परिवहन विभाग/विधि विभाग	12.12.2018 (बुधवार)	11.00 बजे पूर्वाह्न	2	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग	12.12.2018 (बुधवार)	05.00 बजे अपराह्न
3	जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग	14.12.2018 (शुक्रवार)	11.00 बजे पूर्वाह्न	3	सहकारिता विभाग/कृषि विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/ पशु एवं मत्सय संसाधन विभाग/उद्योग विभाग	14.12.2018 (शुक्रवार)	05.00 बजे अपराह्न
4	स्वास्थ्य विभाग/वाणिज्य–कर विभाग/ निर्वाचन विभाग/ संसदीय कार्य विभाग/अल्प संख्यक कल्याण विभाग	17.12.2018 (सोमवार)	11.00 बजे पूर्वाह्न	4	शिक्षा विभाग/पर्यटन विभाग/ वन एवं पर्यावरण विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/ऊर्जा विभाग	17.12.2018 (सोमवार)	05.00 बजे अपराह्न
5	समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	18.12.2018 (मंगलवार)	11.00 बजे पूर्वाह्न				